

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2011/माघ 25, 1932	[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 275
No. 28]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2011/MAGHA 25, 1932	[N.C.T.D. No. 275

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 फरवरी, 2011

सं. फा. (13)/2008/आर.आर./सीसी/योजना/पार्ट-IV/1183.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

- (i) इस सरकार के अधीन योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; तथा
- (ii) इस सरकार की दिनांक 16-9-2008 की अधिसूचना सं.फा. 9(19)/एडी/आरआर/2006/सीसी/योजना/9671 द्वारा अधिसूचित योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वेतनमान पे बैंड-3 में 15,600-39,100 रुपये में ग्रेड पे 5,400 रुपये में सहायक निदेशक ( योजना/सांख्यिकी ) के पद के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड पे (रुपये) सहित वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक ( योजना/सांख्यिकी )	33* (2011)	सामान्य	पे बैंड-3 में 15,600-	चयन	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)।
1. योजना-8	इसमें परिवर्तन	केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'	39,100 रु. में			टीप : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्पा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप-समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)
2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय-4	कार्यभार पर निर्भर है।	राजपत्रित	5400 रु.)			
3. पंजीयक सहकारी समितियों-1						
4. परिवहन-2						
5. पर्यटन-1						
6. लोक निर्माण विभाग-1						
7. उपायुक्त कार्यालय-1						
8. व्यापार एवं कर-1						
9. परिवार कल्याण-1						
10. श्रम-1						
11. लोक नायक जय प्रकाश नारायण-2						
12. शहरी विकास (ऊर्जा)-1						
13. शहरी विकास-2						
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी-1						
15. उद्योग-1						
16. उच्च शिक्षा निदेशालय-1						
17. शिक्षा निदेशालय-1						
18. डीएसएसएसबी-1						
19. डीटीटीई-1						
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1						

33

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वाले प्रत्याशियों के लिये एक वर्ष



(8)

सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में (सांख्यिकी एक विषय/पेपर डिग्री स्तर पर हों) स्नातकोत्तर डिग्री ।

- (ii) सांख्यिकी डाटा को एकत्र करने, संकलन करने तथा व्याख्या का विश्लेषण संबंधी सांख्यिकी कार्य तथा रिपोर्ट लिखने या योजना कार्य जिसमें प्लान स्कीम का प्रतिपादन, संचालन तथा मूल्यांकन शामिल है, में तीन वर्ष का अनुभव ।

टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

(11)

(12)

100 प्रतिशत पदोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

पदोन्नति :

ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 4600 रुपये के ग्रेड पे सहित 9300-34,800 रुपये के वेतनमान वाले सांख्यिकी अधिकारी ।

नोट : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो या दो वर्ष जो भी इनमें कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।

टीप : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा गणना के प्रयोजनार्थ 1-1-2006/वह तिथि जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की संस्तुतियों पर आधारित सम्बद्ध वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान लिया जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी :

(क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा

(2) मूल संवर्ग/विभाग में 4600 रु. के ग्रेड पे सहित 9300-34,800 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित; अथवा

(12)

(3) मूल संवर्ग/विभाग में 4200 रु. के ग्रेड पे सहित 9300-34,800 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; और

(ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले ।

(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे ।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा (आईएसटीसी) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

टीप : जहां संशोधन पूर्व एक से अधिक वेतनमानों का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ही ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद/उन पदों के लिये लागू होगा जिसके लिये यह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना काल्पनिक स्थानापन्न ग्रेड है, इसे छोड़कर के प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 1-1-2006/वह तिथि जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की संस्तुतियों पर आधारित सम्बद्ध वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान लिया जाएगा ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।

(13)

(14)

ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति ( पदोन्नति पर विचारार्थ )

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव ( योजना )/सचिव ( योजना ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
3. सचिव ( सेवा ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य
5. अनु. जल/अनु. जनजाति से संबंधित कोई एक अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त सचिव से कम रैंक का न हो ( सहयोजित ) —सदस्य

ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति ( स्थायीकरण हेतु )

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव ( योजना )/सचिव ( योजना ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, एल. एन. मीणा, संयुक्त निदेशक ( योजना )



## PLANNING DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 14th February, 2011

No. F. (13)/2008/RR/CC/Plg/Pt.-IV/1183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

- (i) Make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Assistant Director (Plg/Stat) in the Planning Department under this Government, and
- (ii) Cancel the recruitment rules for the post of Assistant Director (Plg/Stat) in the Planning Department of this Government notified vide Notification No. F. 9(19)/AD/RR/2006/CC/PLG/9671 dated 16-09-2008.

## SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Asstt. Director (Plg./Stat) in the Pay Scale PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay with Grade Pay (Rs.)
1	2	3	4
Asstt. Director (Plg./Stat)	33@ (2011) @ subject to variation dependent on workload.	GCS Group "A" Gazetted	PB-3, Rs. 15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-
1. Planning	- 8		
2. DES	- 4		
3. RCS	- 1		
4. Transport	- 2		
5. Tourism	- 1		
6. PWD	- 1		
7. D.C. Office	- 1		
8. Trade & Taxes	- 1		
9. Family Welfare	- 1		
10. Labour	- 1		
11. LNJP	- 2		
12. UD (Power)	- 1		

596 DG/11-2

13. Urban Development	-	2
14. ISM&H	-	1
15. Industries	-	1
16. Dte. of Higher Education	-	1
17. Dte. of Education	-	1
18. DSSSB	-	1
19. DTTE	-	1
20. Health & Family Welfare	-	1
Total		33

Whether Selection or Non-Selection Post	Whether benefits of added years of service admissible	Age-limit for Direct Recruits	Educational & other qualifications required for direct recruit
5	6	7	8
Selection	N.A.	<p>Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from Candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J &amp; K State, Lahaul &amp; Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands &amp; Lakshadeep).</p>	<p><u>Essential</u></p> <p>(i) Post Graduate degree in Statistics/ Operational Research/ Mathematical Statistics /Applied Statistics or Post Graduate degree in Economics/Mathematics/ Commerce (with Statistics as one of the subjects/ papers at degree level) of a recognized University.</p> <p>(ii) 3 years experience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation analysis of Statistical data and report writing or planning work involving formulation, Monitoring &amp; Evaluation of Plan Scheme.</p> <p>Note 1: Qualifications are Relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to SC's &amp; ST's if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>



PART IV]

Whether age & Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10	11
Age- No	1 Year for Direct recruits and promotees	100% Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment
EQs- Yes		

In case of Recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion /deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
12	13	14
<p><b>PROMOTION:</b></p> <p>Statistical Officer in the pay scale PB-2 Rs.9300-34800/ with Grade Pay of Rs. 4600/- with 3 years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p>Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>	<p><b>Group 'A' DPC (for considering promotion)</b></p> <p>1 Chairman /Member - UPSC</p> <p>- Chairman</p> <p>2. Pr. Secretary (Plg) / Secretary (Plg) in the Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Member</p> <p>3. Secretary (Services) in the Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Member</p> <p>4. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Member</p> <p>5. An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Joint Secretary in Govt. of NCT of Delhi (co-opted)</p> <p>- Member</p> <p><b>Group 'A' DPC (For considering confirmation):</b></p> <p>1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Chairman</p> <p>2. Pr. Secretary(Plg)/ Secretary (Plg) in the Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Member</p>	<p>Consultation with UPSC necessary on each occasion.</p>

<p><u>Deputation (including short-term contract)</u></p> <p>Officers under the Central/State Govts./Union Territories/ Universities / recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings/ Semi Government/ Statutory or Autonomous Organizations-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or</p> <p>(ii) With 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay scale PB-2 Rs.9300-34800/ with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent Cadre/ Department; or</p> <p>iii) With eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay scale PB-2 Rs.9300-34800/ with Grade Pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/ Department ; and</p> <p>(b) Possessing the Educational Qualifications and Experience prescribed for Direct Recruits under Col. 8.</p> <p>(The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Govt. shall ordinarily not to be exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application."</p>	<p>3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi</p> <p>- Member</p>	
--	---	--



Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (The date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay / pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the notional replacement grade without any upgradation.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

L. N. MEENA, Jt. Director (Plg.)

राज्य निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 14 फरवरी, 2011

सं. रा.चु.आ./दि.न.नि./उ.चु/वार्ड संख्या 78/2011/1537.—जैसा कि दिल्ली नगर निगम में निम्नलिखित वार्ड में पार्षद के रिक्त स्थान को भरने के लिए 13-3-2011 को उपचुनाव होना है :—

वार्ड की संख्या व नाम:—

रिक्त स्थान होने का कारण

78—मजनू का टीला (अ.जा.)

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर एल. पी. ए. संख्या 334/2010 और एल. पी. ए. संख्या 430/2010 पर दिए गए आदेश दिनांक 18.01.2011 के फलस्वरूप ।

अतः अब दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 12 की उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ओ. पी. केलकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राज्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त वार्ड के मतदाताओं का आह्वान करता हूँ कि वे उपरोक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों व आदेशों के अनुसार 21.03.2011 से पूर्व पार्षद को चुने।

उपरोक्त वार्ड संख्या-78 अ.जा. श्रेणी में आता है।

596 DG/11-2

**STATE ELECTION COMMISSION**  
**NOTIFICATIONS**

Delhi, the 14th February, 2011

No. SEC/MCD/Bye-Election/W. No. 78/2011/1537.—Whereas bye-election to the following ward of the Municipal Corporation of Delhi, is to be held on 13-3-2011 to fill up the casual vacancy of Councillor :—

M.C.D. WardReason for vacancy

Ward -78- Majnu Ka Tila (SC)

Hon'ble High Court of Delhi order dated 18.01.2011 in LPA. No. 334/2010 & LPA. No. 430/2010.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, I, O.P. Kelkar, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby call upon the electorates of the above mentioned ward to elect Councillor in accordance with the provisions of the said Act and Rules and Orders made thereunder, before 21.03.2011.

For the purpose of the above-mentioned bye-election, Ward No-78 Majnu Ka Tila falls in 'SC' category.

सं. रा.चु.आ./दि.न.नि./उ.चु./वार्ड संख्या 78/2011/1538.—जैसा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 12 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, ने एतद्वारा निम्नलिखित निगम वार्ड के मतदाताओं से उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 14-2-2011 की अधिसूचना द्वारा, पार्षद को चुन कर आकस्मिक रिक्ति को भरने का आह्वान किया है :—

वार्ड की संख्या व नाम:—

78—मजनू का टीला (अ.जा.)

अतः अब उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली 1970 के नियम 11 के प्रावधान के अनुरूप मैं, ओ. पी. केलकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राज्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त उपचुनाव के सम्बन्ध में एतद्वारा नामांकन-पत्र दाखिल करने आदि की तिथियां निम्नप्रकार से नियत करता हूँ:—

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| क) 21 फरवरी 2011 (सोमवार) | नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी।               |
| ख) 23 फरवरी 2011 (बुधवार) | नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि होगी।                      |
| ग) 26 फरवरी 2011 (शनिवार) | अभियर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तिथि होगी।               |
| घ) 13 मार्च 2011 (रविवार) | उपरोक्त चुनाव के लिए मतदान की तिथि होगी यदि आवश्यक हो तो। |



ड) 21 मार्च 2011 (सोमवार) वह तिथि होगी जिससे पहले चुनाव सम्पन्न हो जाएगा।

राज्य चुनाव आयुक्त एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के उपरोक्त उप-चुनाव के लिए जैसा कि उपरोक्त नियमावली के नियम 29 में वांछनीय है, मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (बिना किसी अन्तराल के) निश्चित करता हूँ।

No. SEC/MCD/Bye-Election/W. No. 78/2011/1538.—Whereas, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred upon him under sub-section (1) of Section 12 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 has called upon the electorates of the following ward of the Municipal Corporation of Delhi to elect Councillor to fill casual vacancy of Councillor vide Notification of even-number dated 14-2-2011 :—

**No. & Name of the ward**

Ward -78- Majnu Ka Tila (SC)

NOW, THEREFORE, in exercise of the said powers and in pursuance of the provisions of rule 11 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 1970, I. O.P. Kelkar, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby further appoint with respect to the bye- election, mentioned above, the dates for filing nominations etc., as under:-

- |                              |                  |   |
|------------------------------|------------------|---|
| a) 21 <sup>st</sup> February | 2011 (Monday)    | as the last date for filing nominations papers                |
| b) 23 <sup>rd</sup> February | 2011 (Wednesday) | as the date of scrutiny of nominations                        |
| c) 26 <sup>th</sup> February | 2011 (Saturday)  | as the last date for withdrawal of candidatures               |
| d) 13 <sup>th</sup> March    | 2011 (Sunday)    | as the date of poll, if necessary                             |
| e) 21 <sup>st</sup> March    | 2011 (Monday)    | as the date before which the bye-election shall be completed. |

The State Election Commissioner hereby further appoints the hours of poll in respect of the bye-election, mentioned above, as "8.00 A.M. to 4.00 P.M. (without break)" as required in Rule 29 of the aforesaid rules.

सं. रा.चु.आ./दि.न.नि./उ.चु./वार्ड संख्या 78/2011/1539.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके अंतर्गत बने नियमों एवं इस विषय से संबंधित सभी प्रावधानों के अनुरूप मैं, ओ.पी. कैलकर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्न तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी को दिल्ली नगर निगम के निकट भविष्य में होने वाले वार्ड जिसका नाम तालिका के कालम 2 में दर्शाया गया है के उपचुनाव हेतु 'निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक' के रूप में नियुक्त करता हूँ :—

निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक का नाम व पता	दिल्ली नगर निगम के वार्ड की संख्या व नाम
1	2
श्री अशोक कुमार. उच्च लेखाधिकारी (लोकनायक अस्पताल) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, 1. जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली.	78-मजनु का टीला (अ.जा.)

ओ. पी. केलकर, राज्य चुनाव आयुक्त

No. SEC/MCD/Bye-Election/W. No. 78/2011/1539.—In exercise of powers conferred under Section 7 of the DMC Act, 1957 and the rules made there under and under all other enabling provisions on this subject, I, O.P. Kelkar, the State Election Commissioner, NCT of Delhi, hereby appoint the Officer of the Govt. of National Capital Territory of Delhi as shown in column 1 of the Table below as 'Election Expenditure Observer' for the Ward of the Municipal Corporation of Delhi shown against in column 2 of the Table below, in connection with the bye-election.

Election Expenditure Observer	No. & Name of MCD Ward
1	2
Sh. Ashok Kumar, Sr. Accounts Officer Lok Nayak Hospital, Govt. of NCT. Of Delhi, 1. Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi	78-Majnu Ka Tila (SC)

O. P. KELKAR, State Election Commissioner